कार्यालय जिला न्यायाधीश, बागेश्वर के **माह मई/2014 से जनवरी/2019** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिहं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.02.2019 से 15.02.2019 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0नेगी एवं श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2014 से 03.06.2014 तक सम्पादित की गई थी। जिसमें 11/2006 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 05/2014 से 01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊँ परिक्षेत्र, बागेश्वर

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	349.60	291.97	31.08	27.93	_	60.76
2015-16	-	-	361.40	307.10	31.21	28.08	_	57.48
2016-17	-	-	435.00	346.96	25.14	16.62	_	96.36
2017-18			451.58	433.15	20.93	13.67	_	25.68
2018-19 (10/18) तक			493.60	394.34	19.25	14.01		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, बागेश्वर** को श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र** एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **जि□ला न्यायाधीश, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 03/15, 03/16, 05/17 एवं 10/18** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग दो अ

<u>प्रस्तरः1-</u> जनपद बागेश्वर में न्याय विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवन के निर्माण में अनावश्यक रू 333.82 लाख लागत में वृद्धि किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 30 दो 1/छत्तीस1 न्या0 अनुभाग/2006 दिनांक 26.10.2006 द्वारा जजशिप बागेश्वर के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू 421 लाख की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसके अन्तर्गत श्रेणी-5 का 1 आवास, श्रेणी-4 का 2 आवास, श्रेणी-3 का 2 आवास, श्रेणी-2 का 45 आवास, 2 गार्ड रूम, 5 गैरेज, कैच वाटर डैन, आर. सी. सी. रेटेनिंग वाल, आवासीय पहुच मार्ग,z आवसीय भवनों चारो तरह बाउड्रीवाल का निर्माण विद्युत एवं जलापूर्ति कार्य किये जाने का प्राविधान किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को नामित किया गया था। जिसके सापेक्ष न्याय विभाग द्वारा दिसम्बर 2006 में प्रथम किस्त रू 1.00 करोड की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया था।

महानिबन्धक उत्तराखण्ड उच्चन्यायालय नैनीताल द्वारा सितम्बर 2009 में द्वितीय किस्त रू 321 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। जिसके सापेक्ष केवल श्रेंणी -5 का 1 आवास, श्रेणी-4 का 2 आवास, श्रेणी-3 के 2 आवास श्रेणी-2 के 16 आवास, गार्ड रूम 2 नग, गैरेज 2, श्रेणी 5 हेतु पहुँच मार्ग, टेरिस कटिंग एवं मलवे का निस्तारण एवं बाहय विद्युतीकरण का कार्य किया जा सका। जबकि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध में दिनांक 02.03.2009 से प्रारम्भ होकर दिनांक 01.09.2010 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन श्रेणी 4, श्रेणी 3 एवं श्रेणी 2 के 16 नग वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं टाइप 2 के 12 आवास वर्ष 2017 में पूर्ण किया गया था। इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नही किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्राविधानित कार्यो में से अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा यह कहते हुए पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया कि वर्तमान में दरों की लागत में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षत आगणन पेषित किया जिसे माननीय जिला न्यायाधीश बागेश्वर के पत्रांक 67/एडमिन दिनांक 02.09.2013 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुनरीक्षित आगणन रू 770.50 लाख मात्र का स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा मार्च 2015 में पूर्व प्रदत्त स्वीकृति रू 421 लाख को घटाते हुए रू 333.82 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए धनराशि अवमुक्त कर दी गई। जिसमें श्रेणी-2 के 12 आवास, आवासों हेतु पेयजल, विद्युतीकरण एवं सैनेट्री का कार्य, आवासीय परिसर श्रेणी- 3, श्रेणी-4 एवं 2 हेतु आन्तरिक पहुँच मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का कार्य, जिला न्यायालय परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य, रेल वाटर हारवेस्टिग का कार्य एवं सैफिटग टैक एवं सोकपिट का निर्माण कार्य किये जाने का प्रावधान किया गया था। इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई निविदा में किये गये अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 30.10.2015 से कार्य प्रारम्भ होकर दिनांक 29.01.2017 तक निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध किया गया था। वर्तमान तक बाउड्रीवाल का

निर्माण कार्य 80 प्रतिशत एवं एप्रोच रोड का निर्माण 60 प्रतिशत तक ही पूर्ण किया गया था। आवासीय भवनों को अभी तक हस्तगत नही किया गया है।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि न्याय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू 1.00 करोड एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 में रू 321 लाख कुल रू 421 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया था। उसके बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध दिनांक 02.03.2009 में यानि तीन वर्ष बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा यह कहते हुए पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया है कि लागत में वद्धि हो जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया। जिसे शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू 333.82 लाख की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया । परन्तु अभी तक निर्माण कार्य अपूर्ण है। कार्यदायी संस्था द्वारा आवासीय भवन का हस्तगत नही किया गया है। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य बिलम्ब से प्रारम्भ करने के कारण अनावश्यक रूप से रू 333.82 लाख की धनराशि लागत में वृद्धि हुई।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने इकाई ने उत्तर में कहा है कि लागत में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा धनराशि समय से अवमुक्त किये जाने के बाद भी तीन साल बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से लागत वृद्धि हुई है। इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी है।

अतः जनपद अल्मोडा में न्याय विभाग के कर्मचारियों/ न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवन के निर्माण में अनावश्यक रू 333.82 लाख लागत में वृद्धि किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---------- शून्य ----------

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 05/2014 से 01/2019 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 18.29 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है। विभाग द्वारा एक उप रोकड़बही का रख रखाव किया गया है जिसमें केवल पेटी कैश से संबन्धित लेन देन दर्ज किए जा रहे हैं जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोषागार से आहरित बिलों का रखरखाव 11-सी व बिल पंजिका 61 में किया जा रहा है भविष्य में रोकड़बही बना ली जायेगी।

अतः रू 18.29 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> डाईग रूम के सुसज्जीकरण की धनराशि का समायोजन न किया जाना रू 3.00 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 385/xxxvi(1)/2013-6-एक(2)/06 टी सी न्याय अनुभाग देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के बिन्दु 06 के अनुसार उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 06 वर्ष में रू 75000 की धनराशि आवास पर डाईग रूम के सुसज्जीकरण हेतु अनुमन्य होगी। इसी के तारत्मय में रजिस्टार जनरल हाईकोर्ट उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2014 को रू 313000 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष चार न्यायाधीशों को रू 75000 की दर सें रू 300000 की धनराशि दिनांक 20.06.2015 को भुगतान कर दिया गया।

कार्यालय के व्यय बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि चार न्यायाधीशों में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष मा0 जिला न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा एवं तीन न्यायाधीशों श्री राकेश कुमार, सिविल जज, मिस नेहा कुशवाहा, सिविल जज, एवं श्री चन्द्रमणि राय, मु0 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि 01/2019 तक कुल रू 300000 का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समायोजन बिल नही दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित न्यायाधीशों से समायोजन प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा धनराशि को अवमुक्त किये तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी समायोजन नही किया गया है।

अतः रू 3.00 लाख डाईग रूम के सुसज्जीकरण की धनराशि का समायोजन न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
04/2014-15	शून्य	प्रस्तर सं.1	1

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
04/2014-15	प्रस्तुत	प्रस्तुत	भाग दो ब प्रस्तर 1 एवं स्टैन प्रस्तर 1 निस्तारित करने की संस्तुति की गई है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय न्यायाधीश, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

सतत् अनियमितताएः शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा	जिला न्यायाधीश	07.06.2014 से 04.01.2016
2	श्री उत्तम सिहं नबियाल	जिला न्यायाधीश	05.01.2016 से 30.06.2016
3	श्री हीरा सिंह बोनाल	जिला न्यायाधीश	08.07.2016 से 25.08.2018
4.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा	जिला न्यायाधीश	01.09.2018 से 31.10.2018
5.	श्री धनंजय चतुर्वेदी	जिला न्यायाधीश	11.10.2018 से वतेमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला न्यायाधीश, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/(सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र